



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर


क्रमांक: एफ(21)/एनआरएचएम/आशा सॉफ्टवेयर/2014-15/1064

दिनांक:- 22/05/15

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला आशा समन्वयक,
समस्त जिला नोडल अधिकारी,


विषय:- 21 मार्च, 2015 के बाद की गई गतिविधियों के बकाया क्लेम 26 मई, 2015 से होने वाले क्लेम फार्म एन्ट्री (26 अप्रैल से 25 मई तक की एन्ट्री) में शामिल करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको यह निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी आशा द्वारा 21 मार्च, 2015 के बाद की गतिविधियों के लिए क्लेम फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया, उदाहरण स्वरूप, 21 मार्च 2015 के बाद के कार्यों के लिए क्लेम फार्म 25 अप्रैल, 2015 से होने वाले एन्ट्री के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, तो वह उक्त अवधि का अपना क्लेम दिनांक 26 मई से होने वाले डेटा एन्ट्री में आवश्यक रूप से सम्मिलित करें। यदि किसी आशा द्वारा पिछले माह के किये गये कार्यों का क्लेम माह मई में प्रस्तुत नहीं किया गया तो, अगले माह (26 मई से 25 जून तक) किये जाने वाले भुगतान में पिछला भुगतान शामिल नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य स्तर पर मिशन निदेशक/परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य से लिखित पूर्व अनुमति लेकर ही वह भुगतान किया जा सकेगा।


विशेष शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निदेशक-आरसीएच।
4. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
5. परियोजना निदेशक, एमएच।
6. स्टेट डेमोग्राफर, एनएचएम।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक।
8. सर्वर रूम, एनआरएचएम।


विशेष शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)